



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-4886/MH/5/2025-RU-I

दिनांक: 23.05.2025

डॉ. महेंद्र कल्याणकर,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्लम पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
महाराष्ट्र सरकार, प्रशासनिक भवन,
अनंत कानेकर मार्ग,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051, महाराष्ट्र,
ई-मेल: ceo@sra.gov.in

विषय: कलेक्टर के आदेश से भूमिहीन 22 अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटित जमीन पर एस.आर.ए. की योजना लागू कर जमीन से बेदखल करने के संदर्भ में डॉ. सुनिल बालकृष्ण प-हाड, सचिव, आदिवासी एकता परिषद, पालघर, महाराष्ट्र का दिनांक 08.04.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 05.05.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 18.06.2025 को दोपहर पूर्व सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

डॉ. सुनिल बालकृष्ण प-हाड,

सचिव,

आदिवासी एकता परिषद,

पोस्ट-गंजाड़, तालुका-डहाणू,

जिला-पालघर, महाराष्ट्र

कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।